



Gwalior Nagar Nigam

GWALIOR Division

2025 - 2026

जावक क्रमांक/Dispatch Number	जावक तिथि / Dispatch Date	आवेदन तिथि / Application Date
AB-2500000020/FNOC/COL/2025/1965	09/08/2025	01/07/2025

आवेदन क्रमांक / Application No. :	AB-2500000020	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :	Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :	Educational Building / शैक्षिक भवन	भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height (Mtr) :	7
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area(Sq.Mtr) :	2449	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr) :	6488
आवेदक का नाम / Applicant Name :	राधेश्याम , J/O- शीला देवी , निरंजन सिंह		
संपत्ति का पता / Property Address :	IRA WORLD SCHOOL SURVEY NO - 398 AIRPORT ROAD, MAHARAJPURA GWALIOR, (M.P.)		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

टिप्पणियाँ -

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:

1. निम्नलिखित उपकरणों में से आवश्यकता अनुसार उपयोग करना अनिवार्य है -

1. Access.
2. Wet Riser
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. Underground Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.



E-sign

Commissioner, Gwalior Nagar Nigam
GWALIOR Division, Madhya Pradesh

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. Public Address System with Talk-Back Facility.
16. Emergency Light.
17. Auto Diesel Generator (D.G.) Set.
18. Illuminated Exit Sign.
19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.

2. अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन:

उपर्युक्त 24 बिंदुओं में उल्लिखित आवश्यक अग्निशमन उपकरणों को नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 की तालिका-7 तथा संलग्न अग्नि योजना के अनुसार स्थापित करना आवश्यक होगा साथ ही, समस्त फर्स्ट एड एवं अन्य आवश्यक अग्निशमन व्यवस्थाएं एन.बी.सी. भाग-4 के अनुरूप सुनिश्चित करनी होंगी।

3. अग्नि योजना अनुमोदन - नियम और शर्तें :

1. भूमि विकास नियम, 2012 तथा निर्धारित आई.एस./आई.एस.आई. मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
2. नगर एवं ग्राम निवेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, आपातकालीन एवं सामान्य वाहनों की आवाजाही हेतु नामित मार्गों को सदैव अवरुद्ध रहित एवं स्पष्ट रखना अनिवार्य है।
3. निर्मित भवन में कार्यरत कर्मियों/श्रमिकों की सुरक्षा हेतु प्राथमिक अग्नि सुरक्षा उपायों एवं अग्निशमन प्रणाली के संचालन का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।
4. अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के उपरांत उनकी जांच संबंधित सक्षम अग्निशमन प्राधिकारी से कराना आवश्यक होगा।
5. स्वीकृत अग्नि योजना में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन भवन उपयोग या आवास स्वीकृति से पूर्व स्वयं आवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
6. स्वीकृत अग्नि योजना प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
7. आवासीय उपयोग एवं वाहन आवागमन की स्थिति में भवन को भूमि विकास नियम, 2012 एवं एन.बी.सी. मानकों के अनुसार नियोजित कर पर्याप्त खुले स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
8. अग्नि दुर्घटना की स्थिति में त्वरित निकासी हेतु उपयुक्त स्थानों पर आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था करना आवश्यक है।
9. अग्नि योजना के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के उपरांत, उनकी फोटोग्राफ्स सहित एक पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
10. समस्त स्थापित उपकरणों का विवरण प्रस्तुत कर "निरीक्षण स्वीकृति पत्र" अग्निशमन अधिकारी से प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन/लाइसेंस जारी किया जाएगा।
11. स्वीकृत भवन में निर्धारित सीमा से बाहर किए गए किसी भी संशोधन की सूचना अनिवार्य रूप से सक्षम अग्नि प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। बिना अनुमति के किए गए संशोधन की स्थिति में पूर्व अनुमोदन अमान्य माना जाएगा।
12. अग्नि योजना अनुमोदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर दिया जाता है। यदि भूमि स्वामित्व या दस्तावेजों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुमोदन अमान्य माना जाएगा।



E-sign

Commissioner, Gwalior Nagar Nigam
GWALIOR Division, Madhya Pradesh